



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

30 अग्रहायण , 1943 (श०)

संख्या- 630 राँची, मंगलवार,

21 दिसम्बर, 2021 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

14 दिसम्बर, 2021

विषय:- माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा SLP(Civil) No.13473/2020 पंकज कुमार बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 19.08.2021 को पारित न्यायादेश के आलोक में अपीलकर्ता श्री पंकज कुमार को उप समाहर्ता के पद पर नियुक्ति हेतु दिनांक 11.08.2010 के प्रभाव से अनुसूचित जाति श्रेणी में झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि का एक छायापद सृजित करते हुए श्री पंकज कुमार को उप समाहर्ता के पद पर की गई नियुक्ति की मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में ।

संख्या-4/नियुक्ति-01-03/2021का०-8498--माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा SLP(Civil) No. 13473/2020 में दिनांक 19.08.2021 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में श्री पंकज कुमार की उप समाहर्ता के पद पर नियुक्ति हेतु दिनांक 11.08.2010 के प्रभाव से अनुसूचित जाति श्रेणी में झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि का एक छायापद सृजित करते हुए श्री कुमार की उप समाहर्ता के पद पर नियुक्ति के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में माननीय मुख्यमंत्री के अनुमोदन के उपरान्त विभागीय अधिसूचना सं० 7879 दिनांक 09.11.2021 द्वारा दिनांक 11.08.2010 के प्रभाव से श्री कुमार की उप समाहर्ता के पद पर नियुक्ति की गई है ।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा SLP (Civil) No.13473/2020 में दिनांक 19.08.2021 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में श्री पंकज कुमार की उप समाहर्ता के पद पर नियुक्ति हेतु दिनांक 11.08.2010 के प्रभाव से अनुसूचित जाति श्रेणी में झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि का एक छायापद सृजित करने के प्रस्ताव पर प्रशासी पदवर्ग समिति की अनुशंसा पर माननीय वित्त मंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया गया ।

श्री पंकज कुमार की उप समाहर्ता के पद पर नियुक्ति हेतु दिनांक 11.08.2010 के प्रभाव से अनुसूचित जाति श्रेणी में झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि का एक छायापद सृजन के प्रस्ताव एवं मंत्रिपरिषद के अनुमोदन हेतु संलेख प्रारूप पर मुख्य (विभागीय) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया गया ।

श्री पंकज कुमार की उप समाहर्ता के पद पर नियुक्ति हेतु दिनांक 11.08.2010 के प्रभाव से अनुसूचित जाति श्रेणी में झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि का एक छायापद सृजन के प्रस्ताव एवं मंत्रिपरिषद के अनुमोदन हेतु संलेख प्रारूप पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त किया गया ।

अतः कार्य की महत्ता को देखते हुए मंत्रिपरिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा SLP (Civil) No.13473/2020 में दिनांक 19.08.2021 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में श्री पंकज कुमार की उप समाहर्ता के पद पर नियुक्ति हेतु दिनांक 11.08.2010 के प्रभाव से अनुसूचित जाति श्रेणी में झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि का एक छायापद सृजित करते हुए श्री कुमार की उप समाहर्ता के पद पर नियुक्ति के प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन हेतु संचिका में प्रस्ताव एवं संलेख के साथ मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग को पृष्ठांकित की गई। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग के द्वारा मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के प्रत्याशा में प्रस्ताव एवं संलेख पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन दिनांक 08.11.2021 को प्राप्त किया गया ।

तत्पश्चात विभागीय अधिसूचना सं० 7879 दिनांक 09.11.2021 द्वारा श्री पंकज कुमार की दिनांक 11.08.2010 के प्रभाव से उप समाहर्ता के पद पर नियुक्ति से संबंधित अधिसूचना निर्गत की गई है ।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा SLP(Civil) No.13473/2020 पंकज कुमार बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 19.08.2021 को पारित न्यायादेश के आलोक में अपीलकर्ता श्री पंकज कुमार को उप समाहर्ता के पद पर नियुक्ति हेतु दिनांक 11.08.2010 के प्रभाव से अनुसूचित जाति श्रेणी में झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि का एक छायापद सृजित करते हुए श्री पंकज कुमार की उप समाहर्ता के पद पर की गई नियुक्ति की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

प्रस्ताव पर विभागीय संलेख ज्ञापांक 7898 दिनांक 12.11.2021 के द्वारा राज्य मंत्रिपरिषद की दिनांक 25.11.2021 की बैठक में मद संख्या 01 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुधीर कुमार रंजन,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
